आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

राजबीर सेहरावत से सम्मुख, जे.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड-अपीलार्थी

बनाम

अमरजीत सिंह और अन्य प्रतिवादीगण 2020 का एफ. ए. ओ. सं. 1385 (ओ. एंड.एम)

20 मार्च, 2020

ए. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-आकस्मिक मृत्यु-एफ. आई. आर. में उल्लंघनकारी वाहन संख्या में परिवर्तन-मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर-न्यायाधिकरण ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही पाया और मुआवजे का आदेश दिया-बीमा द्वारा अपील-शिकायतकर्ता, चालक और पुलिस के बीच शिकायतकर्ता का पूरक बयान दर्ज करके पुलिस के समक्ष वाहन को गलत तरीके से शामिल करने के लिए शिकायतकर्ता, चालक और पुलिस के बीच मिलीभगत की याचिका मूल रूप से एफ. आई. आर. में दिए गए वाहन संख्या को बदलने के लिए दर्ज की गई-आयोजित, मिलीभगत की याचिका में कोई सार नहीं था क्योंकि गवाह ने परिवर्तन की परिस्थितियों को विधिवत समझाया था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने और फाइल का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय को अपीलार्थी के वकील के तर्क में कोई सार नहीं मिलता है।जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है, दावा याचिका का समर्थन चश्मदीद गवाह ने किया है।दावा याचिका में साक्ष्य में, चश्मदीद गवाह ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है और अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा बीमित ट्रैक्टर के नंबर को उल्लंघन करने वाले वाहन के रूप में उल्लेख किया है।हालाँकि इस गवाह से इस आशय का सवाल किया गया है कि उसने पुलिस को दिए गए अपने प्रारंभिक संस्करण में एक अलग पंजीकरण संख्या दी थी, हालाँकि, गवाह द्वारा इस परिवर्तन की परिस्थितियों को विधिवत समझाया गया है।

(पैरा 6)

ख. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-आकस्मिक मृत्यु-बीमा द्वारा अपील-विचाराधीन दुर्घटना से उत्पन्न आपराधिक मामले में चालक को बरी करने की याचिका-आपराधिक मुकदमे के दौरान एकत्र की गई सामग्री या साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में चालक को बरी करना दावा याचिका के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चालक को आपराधिक मामले में आरोपों से बरी भी कर दिया गया है, तथापि, आपराधिक मामले

की कार्यवाही या उसके परिणाम के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य या सामग्री, दावा याचिका के निर्णय के उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक नहीं है।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम अमरजीत सिंह

721

और अन्य (राजबीर सहरावत, जे.)

दावा याचिका का निर्णय दलीलों में किए गए दावों और फाइल में दिए गए साक्ष्य के अनुसार किया जाना है।ट्रिब्यूनल द्वारा भी यही सही निर्णय लिया गया है।

(पैरा 6)

ग. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-आकस्मिक मृत्यु-बीमा द्वारा अपील-चालक और बीमा द्वारा की गई याचिका कि बीमित वाहन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, को भी टिकाऊ नहीं माना गया क्योंकि प्रतिवादियों ने सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करके अपना पक्ष साबित नहीं किया-चालक ने गवाह के रूप में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना जिससे दावेदार को दावों पर उससे जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया-इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि मामले का एक अन्य पहलू यह है कि यह अपीलार्थी और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक का दावा था कि अपीलार्थी द्वारा बीमित वाहन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।दावा याचिका में प्रतिवादियों को इस आशय के सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करके अपने दावे को साबित करने की आवश्यकता थी।हालांकि, चालक ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में पेश नहीं होने का भी फैसला किया है।इसलिए, दावेदार को चालक और बीमा कंपनी के इस दावे पर जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है कि उनका वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था।न्यायाधिकरण ने इस मामले में उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना सही माना है।

(पैरा 7)

डी. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-आकस्मिक मृत्यु-बीमा द्वारा अपील-याचिका कि यांत्रिक जांच में वाहन क्षतिग्रस्त नहीं पाया गया था-आयोजित, दुर्घटना के आठ दिनों के बाद यांत्रिक जांच प्रासंगिक नहीं थी क्योंकि इस अवधि के दौरान वाहन की स्थिति की बहुत अच्छी तरह से मरम्मत की जा सकती थी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए गए उल्लंघनकारी वाहन की यांत्रिक रूप से जांच की गई थी और वह क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं पाया गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था, हालाँकि, जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है, कि इस वाहन का यांत्रिक निरीक्षण दुर्घटना के 8 दिनों के बाद किया गया था।इसलिए, वाहन की बाद की स्थिति, जिसे उचित मरम्मत द्वारा बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप किया जा सकता है, दुर्घटना में वाहन की भागीदारी का आकलन करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है।

(पैरा 9)

722

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

हरजिंदर सिंह, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए

राजबीर सहरावत, जे. ओरल

(1) यह उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अपील है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, करनाल (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा एक दुर्घटना मामले में पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिका की अनुमति दी गई है और दावेदारों/प्रतिवादीगण को मुआवजा दिया गया है।

(2) वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि; प्रतिवादीगण ने दावा याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 28.9.2016 पर, अवतार सिंह का बेटा देवेंद्र; अपनी चचेरी बहन दलजीत कौर के साथ; पंजीकरण संख्या वाली मोटर साइकिल पर गाँव सोनकारा, जिला करनाल आ रहा था। एचआर-08एन-2873, जिसे उनके द्वारा मध्यम गति से चलाया जा रहा था।पीछे की सवारी दलजीत कौर कर रही थीं।जब वे रेलवे क्रॉसिंग, ढांड के पीछे पहुंचे, तो पंजीकरण संख्या वाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली। एच. आर.-21जे-4708, जिसे उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा चलाया जा रहा था, जल्दबाजी और लापरवाही से ढांड की ओर से आया और मोटर साइकिल से टकरा गया।प्रभाव के कारण, दलजीत कौर नीचे गिर गईं और उनके महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं।इसके बाद, उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।आगे यह दावा किया गया कि दलजीत कौर कढ़ाई का काम कर रही थी और Rs.5000/-per महीने की कमाई कर रही थी।इन दावों के आधार पर, दावा याचिका को प्राथमिकता दी गई थी।

(3) नोटिस पर, चालक और मालिक ने अपना संयुक्त लिखित बयान दायर किया और याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके वाहन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है।केवल मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई है।इसके अलावा यह दावा किया गया कि दावेदारों द्वारा दावा की गई राशि अत्यधिक और अत्यधिक थी।बीमा कंपनी/अपीलार्थी ने अलग से लिखित बयान दायर किया जिसमें दावा करने वालों के साथ मालिक और चालक की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।इसके अलावा यह दावा किया गया कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध बीमा पॉलिसी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।वाहन को बीमा पॉलिसी के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था। (4) अपने-अपने दावों को साबित करने के लिए, पक्षों ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया।साक्ष्य की सराहना करने के बाद, न्यायाधिकरण ने माना कि उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का चालक लापरवाही कर

रहा था और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था।इसके अलावा, बीमा पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस वैध पाए गए।तदनुसार, दावा याचिका को अनुमति दी गई और कुल 15,82,000/- की राशि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम अमरजीत सिंह के रूप में प्रदान की गई।

723

और अन्य (राजबीर सहरावत, जे.)

मुआवजा; दलजीत कौर की मृत्यु के कारण।उसी के खिलाफ, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

(5) अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का एकमात्र तर्क यह है कि; उसी दुर्घटना के लिए आई. पी. सी. की धारा 279,336 और 304ए के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ पुलिस स्टेशन ढांड में प्राथमिकी संख्या 104 दिनांक 28.9.2016 दर्ज की गई थी। उक्त एफ़. आई. आर. में, शिकायतकर्ता ने उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का नंबर एच. आर.-08-6626 बताया था।हालाँकि, बाद में, दावेदार, चालक और पुलिस की मिलीभगत के कारण, अपीलार्थी द्वारा बीमित वाहन को गलत तरीके से शामिल किया गया है।वर्तमान अपीलार्थी द्वारा बीमित वाहन को शामिल करने के लिए, शिकायतकर्ता ने पुलिस के समक्ष एक पूरक बयान दर्ज कराया था।हालांकि उक्त बयान के आधार पर, उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक आपराधिक मामले में शामिल था।हालाँकि, तथ्य यह है कि कथित चश्मदीद गवाह ने आपराधिक मामले में पहले दिए गए संस्करण को बदल दिया है।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालक की मिलीभगत इस तथ्य से भी दिखाई देती है कि हालांकि पुलिस ने उसे उनके सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया था, फिर भी चालक ने खुद उपस्थित होकर ट्रैक्टर को पेश किया था।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिका को गलत तरीके से अनुमति दी गई है।बीमा कंपनी को गलत तरीके से अनावश्यक दायित्व के तहत रखा गया है।

(6) अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने और फाइल का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय को अपीलार्थी के वकील के तर्क में कोई सार नहीं मिलता है।जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है, दावा याचिका का समर्थन चश्मदीद गवाह ने किया है।दावा याचिका में साक्ष्य में, चश्मदीद गवाह ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है और अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा बीमित ट्रैक्टर के नंबर को उल्लंघन करने वाले वाहन के रूप में उल्लेख किया है।हालाँकि इस गवाह से इस आशय का सवाल किया गया है कि उसने पुलिस को दिए गए अपने प्रारंभिक संस्करण में एक अलग पंजीकरण संख्या दी थी, हालाँकि, गवाह द्वारा इस परिवर्तन की परिस्थितियों को विधिवत समझाया गया है।हालाँकि अपीलार्थी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालक को आपराधिक मामले में आरोपों से बरी भी कर दिया गया है, हालाँकि, आपराधिक मामले की कार्यवाही या उसके परिणाम के दौरान एकत्र की गई साक्ष्य या सामग्री, दावा याचिका के निर्णय के उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक नहीं है।दावा याचिका का निर्णय दलीलों में किए गए दावों और फाइल में दिए गए साक्ष्य के अनुसार किया जाना है।ट्रिब्यूनल द्वारा भी यही सही निर्णय लिया गया है।

(7) मामले का एक अन्य पहलू यह है कि यह अपीलार्थी और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक का दावा था कि अपीलार्थी द्वारा बीमित वाहन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।द 724

दावा याचिका में प्रतिवादियों को इस आशय के सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करके अपने दावे को साबित करने की आवश्यकता थी।हालांकि, चालक ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में पेश नहीं होने का भी फैसला किया है।इसलिए, दावेदार को चालक और बीमा कंपनी के इस दावे पर जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है कि उनका वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था।न्यायाधिकरण ने इस मामले में उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना सही माना है।

(8) अपीलार्थी/बीमा कंपनी भी न्यायाधिकरण के समक्ष एक पक्षकार थी।यदि उसने यह दलील दी थी कि दुर्घटना अपीलार्थी द्वारा बीमित वाहन के कारण नहीं हुई थी, तो इस दावे को साबित करना अपीलार्थी/बीमा कंपनी का दायित्व है।हालांकि, बीमा कंपनी ने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है।बीमा कंपनी कम से कम यह कर सकती थी कि वह अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से चालक को गवाह के रूप में तलब कर सकती थी और यदि अपीलार्थी को संदेह था कि चालक दावेदार के साथ मिलीभगत कर रहा था, तो अपीलार्थी न्यायाधिकरण की अनुमति से उससे जिरह करा सकता था।हालाँकि, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाया गया था।

(9) हालाँकि अपीलार्थी के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस के समक्ष पेश किए गए उल्लंघनकारी वाहन की यांत्रिक रूप से जांच की गई थी और वह क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं पाया गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था, हालाँकि, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, कि इस वाहन का यांत्रिक निरीक्षण दुर्घटना के 8 दिनों के बाद किया गया था।इसलिए, वाहन की बाद की स्थिति, जिसे उचित मरम्मत द्वारा बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप किया जा सकता है, दुर्घटना में वाहन की भागीदारी का आकलन करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है।

(10) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्यवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और अधिकारिक उदेश्यो के लिए निणर्य का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(योगेश चन्द्र गौड)